

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: 16 वीं विधानसभा/तृतीय सत्र/2025/1558

दिनांक:- 11/3/25

—: आदेश :-

राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग के आय-वर्ष 2025-2026 की विनियोग एवं अनुदान मांगों पर दिनांक 06.03.2025 (गुरुवार) को विचार विमर्श होगा।

बजट मांगों पर माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का उत्तर संकलित कर उसके सैट तैयार करने हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का डॉ० सुशील कुमार परमार, अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) की अध्यक्षता में गठन किया जाता है, जिसमें निम्न लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य सम्पादन हेतु एतद् द्वारा लगाया जाता है।

क्रम संख्या	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम
1.	श्री संतोष कुमार गोयल	परियोजना निदेशक (एनएचएम)
2.	श्री अरविन्द दीवान	निदेशक (वित्त), एनएचएम
3.	श्रीमती वीना गुप्ता	वित्तीय सलहाकार
4.	डॉ० लोकेश चतुर्वेदी	एसपीएम (एनएचएम), मुख्यालय।
5.	डॉ० रोहित मीना	एजीएम लॉजिस्टिक्स (आरएमएससीएल)
6.	डॉ० नरोत्तम शर्मा	अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)
7.	डॉ० प्रवीण असवाल	अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य)
8.	डॉ० जोगेश्वर प्रसाद	अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच)
9.	डॉ० देवेन्द्र शर्मा	संयुक्त निदेशक (सीएमआईएस)
10.	डॉ० एस.एन. धौलपुरिया	स्टेट नोडल अधिकारी (एनटीसीपी)
11.	डॉ० सुभाष खोलिया	भण्डार एवं वाहन पुल अधिकारी
12.	डॉ० आर.पी. मीणा	परीक्षा नियंत्रक (आरपीएमसी)
13.	डॉ० राम बाबु जयसवाल	नोडल अधिकारी (एमएनडीवाई)
14.	डॉ० आशुतोष गर्ग	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण अराजपत्रित)
15.	डॉ० ओ.पी. शर्मा	संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन/मॉनिटरिंग)
16.	डॉ० पुरुषोत्तम सोनी	राज्य क्षय रोग अधिकारी
17.	डॉ० राकेश गोचर	उप निदेशक (अराजपत्रित)
18.	डॉ० दिनेश पारीक	संयुक्त निदेशक (आरपीजी एवं सीएमआईएस)
19.	डॉ० मुस्ताक खान	संयुक्त निदेशक (मलेरिया)
20.	डॉ० सूरज प्रकाश मीणा	राज्य नोडल अधिकारी, आदर्श पी.एच.सी.
21.	डॉ० प्रदीप कुमार चौधरी	परियोजना निदेशक (शिशु स्वास्थ्य)
22.	डॉ० तरुण चौधरी	परियोजना निदेशक (मातृ स्वास्थ्य)
23.	डॉ० रघुराज सिंह	परियोजना निदेशक (टीकाकरण)
24.	डॉ० जिनेश सैनी	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित)
25.	डॉ० अनमोल खण्डेलवाल	चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा प्रशासन)
26.	डॉ० अभिनव अग्रवाल	स्टेट नोडल अधिकारी (मातृ स्वास्थ्य)
27.	श्री हौशियार सिंह	वित्तीय सलहाकार (परिवार कल्याण)
28.	श्री अजय फाटक	औषधि नियंत्रक-प्रथम
29.	श्री गजेन्द्र सिंह	उप विधि परामर्शी
30.	श्री संजय गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी-प्रथम (परिवार कल्याण)
31.	श्री दीपक खन्ना	एसीपी, आईटी
32.	श्री भगवान सहाय	संस्थापन अधिकारी, औषधि नियंत्रक, मुख्यालय।
33.	श्री अजय भटनागर	संस्थापन अधिकारी, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
34.	श्री विरेन्द्र सिंह	संस्थापन अधिकारी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
35.	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	संस्थापन अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
36.	श्री सुर्यकांत आचार्य	संस्थापन अधिकारी, टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
37.	श्री चन्द्रेश व्यास	संस्थापन अधिकारी ((वित्तीय सलहाकार))
38.	श्री त्रिलोकीचंद शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
39.	श्री दीपक श्रीवास्तव	प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) मुख्यालय।
40.	श्री जयप्रकाश शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी (योजना अनुभाग) मुख्यालय।
41.	श्री विवेक अग्रवाल	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय अराजपत्रित) मुख्यालय।
42.	श्री रविन्द्र माथुर	अतिरिक्त प्रशासक अधिकारी (चिकित्सा प्रशासन)
43.	श्री राज सिंह	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (अराजपत्रित अनुभाग), मुख्यालय।
44.	श्री लोकेश शर्मा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्यालय।
45.	श्री रतन गोदारा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्यालय।
46.	श्री रविकान्त शुक्ला	स्टेट डाटा ऑफिसर (सारा)

47.	श्री मनिराज सिंह	अतिरिक्त प्रशा0 अधिकारी (आई.ई.सी), मुख्यालय।
48.	श्री अवनीश मीणा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (प्रशिक्षण अनुभाग), मुख्यालय।
49.	श्री औमप्रकाश उच्चैनिया	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती अनुभाग), मुख्यालय।
50.	श्री अजय कुमार	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित अनुभाग), मुख्यालय।
51.	श्री सुधीर जैन	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (लेखा अनुभाग), मुख्यालय।
52.	श्री रामबाबू अग्रवाल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग अनुभाग), मुख्यालय।
53.	श्री मनीष जैन	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (अराजपत्रित अनुभाग), मुख्यालय।
54.	श्री लोकेश शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्टोर अनुभाग), मुख्यालय।
55.	श्री रूपाराम मेघवाल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग), मुख्यालय।
56.	श्री टीकम शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्टोर अनुभाग), मुख्यालय।
57.	श्री जयसिंह यादव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग अनुभाग), मुख्यालय।
58.	श्री कैलाश चन्द मीणा	प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित अनुभाग), मुख्यालय।
59.	श्री दिलीप नायक	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आर.टी.आई अनुभाग), मुख्यालय।
60.	श्री भुवनेश शर्मा	सहायक प्रशा0 अधिकारी (परिवार कल्याण)
61.	श्री विनीत वर्मा	वरिष्ठ सहायक (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
62.	श्री हेमन्त जॉंगिड	वरिष्ठ सहायक (राजपत्रित अनुभाग), मुख्यालय।
63.	श्री रविन्द्र हाडा	वरिष्ठ सहायक (डीपीसी अनुभाग), मुख्यालय।
64.	श्री नवीन कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक (भर्ती प्रकोष्ठ)
65.	श्री विजय कुमार बैरवा	वरिष्ठ सहायक (अराजपत्रित)
66.	श्री यशराज बांगड	वरिष्ठ सहायक (जनता क्लिनिक)
67.	श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक (परिवार कल्याण)
68.	श्री राहुल असवार	सहायक प्रोग्रामर (अराजपत्रित)
69.	श्री मनीष शर्मा	सहायक प्रोग्रामर (नर्सिंग अनुभाग)
70.	श्री कृष्ण कुमार रैगर	सूचना सहायक (एमएनडीवाई)
71.	श्री पवन सांखला	सहायक प्रोग्रामर (आरटीआई अनुभाग) मुख्यालय।
72.	श्री विरेन्द्र थापा	सहायक प्रोग्रामर (सीएमआईएस)
73.	श्री मनीष गुर्जर	सूचना सहायक (राजपत्रित)
74.	श्री अजय कुमार	विद्युतकार, मुख्यालय।
75.	श्री सतीश	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्टोर अनुभाग), मुख्यालय।
76.	श्री लादूराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एमएनजेवाई), मुख्यालय।
77.	श्री दिनेश सैनी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वित्तीय सलहाकार) मुख्यालय।
78.	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, (खाद्य सुरक्षा अनुभाग), मुख्यालय।
79.	श्री आनन्द कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अराजपत्रित), मुख्यालय।
80.	श्री हेमन्त महावर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अराजपत्रित), मुख्यालय।
81.	श्री कुलदीप रावत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (राजपत्रित), मुख्यालय।
82.	श्री ईश्वर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (विधि अनुभाग), मुख्यालय।

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से प्राप्त कटौती प्रस्तावों अनुसार टीमों का गठन किया जायेंगे उनके द्वारा उनको आवंटित प्रश्नों का पूर्ण उत्तर प्राप्त कर टंकित कर डॉ० सुशील कुमार परमार, अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के साथ डॉ० रामबाबू जयसवाल, राज्य नोडल अधिकारी (एमएनडीवाई) को प्रस्तुत करना होगा ताकि संकलित कर पूर्ण पुस्तिका के 40 सेट तैयार कर विधानसभा को प्रेषित किये जा सकें।

उपरोक्त कटौती प्रस्तावों के जवाब तैयार करने के लिये दिनांक **04.03.2025** को प्रातः **09.30 बजे** से दिनांक **06.03.2025 तक की रात्रि को** विधानसभा की कार्यवाही जारी रहने तक उक्त सैल कार्य करेगा, साथ ही दिनांक 06.03.2025 को चर्चा के दौरान प्राप्त होने वाले कटौती प्रस्ताव के उत्तर भी तैयार करेगा। उक्त अवधि में न तो किसी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किया जावेगा और न ही बिना प्रभारी की अनुमति से कार्यालय/कार्यस्थल छोड़ेगे। इसके साथ ही सर्वर रूम भी उपरोक्तानुसार कार्य करेगा।

श्री सुधीर जैन एवं श्री रामबाबू अग्रवाल एवं मनीष जैन टंकण कार्य से संबंधित व्यवस्था क्र.म. 6। से 73 पर वर्णित कर्मचारियों से करवायेंगे। **टी.बी., अंधता एवं एम.एन.डी.वाई. अनुभाग से कम्प्यूटर मय लेजर प्रिन्टर लगाये जायेंगे।**

उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारीगण (आर.एच.एस.डीपी.) मिटिंग हॉल में बैठकर दिनांक **04.03.2025** को प्रातः 09.30 बजे से कटौती प्रस्ताव का उत्तर तैयार करवाने की कार्यवाही करेगे। एक पृष्ठ पर दो से अधिक कटौती प्रस्तावों के उत्तर टंकित नहीं करायेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मुख्यालय।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसज कॉर्पोरेशन, मुख्यालय।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक), मुख्यालय।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-1/2/3/4/5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
9. निदेशक (आई.ई.सी./आरसीएच/अराजपत्रित/एड्स), मुख्यालय।
10. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
11. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
12. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अजमेर रोड, जयपुर।
13. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक (एनएचएम/एड्स), मुख्यालय।
15. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन /राजपत्रित /आरसीएच /आई.ई.सी /ग्रामीण स्वास्थ्य/योजना), मुख्यालय।
16. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
17. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल/फार्मसी कौंसिल/राजस्थान स्टेट एलाईड एण्ड हैल्थ केयर कौंसिल जयपुर।
18. औषधि नियंत्रक, प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
19. संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
20. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
21. समस्त अनुभागधिकारी प्रभारी/संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
22. उप निदेशक, (विधानसभा), मुख्यालय।
23. समस्त संयुक्त निदेशक जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
24. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
25. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
26. श्री टीकम शर्मा, सहायक प्रशा0 अधिकारी स्टोर शाखा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त गठित प्रकोष्ठ के लिए स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करावें।
27. श्री राम सिंह, स्टोर कीपर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त गठित प्रकोष्ठ के लिए फोटो कॉपी मशीन सुचारु रूप से कार्यरत रहे की व्यवस्था करावें, साथ ही उपरोक्त गठित प्रकोष्ठ एवं निदेशालय के सभी अनुभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 04.03.2025 से 06.03.2025 तक विधानसभा की कार्यवाही जारी रहने तक चाय-पानी, अल्पहार, खाना इत्यादि की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें।
28. दिनांक 04.03.2025 को प्रातः 09:00 बजे से 06.03.2025 को रात्रि विधानसभा जारी रहने तक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के सभी अनुभागों के अधिकारी/कर्मचारी अपने अनुभाग खुले रखेंगे।
29. केयर टेकर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि मीटिंग हॉल की सफाई सुचारु रूप से करावें।
30. स्टोर प्रभारी, (एनएचएम) को भेजकर लेख है कि दिनांक 04.03.2025 से 06.03.2025 तक विधानसभा की कटौती प्रस्ताव की कार्यवाही जारी रहने तक आर.एच.एस.डीपी. हॉल को अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने हेतु खाली रखेंगे एवं इन्टरनेट की व्यवस्था करेंगे।
31. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुये संबंधित को ई-मेल करें।
32. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।
33. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।